उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्रांकः सी0 46 /वसूली–वाहन/जीपकिराया/2019–20 दिनाँकः 11-9-2019

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

आप अवगत है कि मार्च 19 में क्षेत्रीय कार्यालयों को पुनर्स्थापित करते हुये मण्डलीय शाखा कार्यालयों पर इस निर्देश के साथ क्षेत्रीय प्रबन्धकों की तैनाती की गयी है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक अपने आवंटित मण्डल में **वसूली, ऋण वितरण, सावधि जमा एवं अन्य समस्त कार्यो को लक्ष्यों के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें।**

उक्त के कम में कतिपय क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि मण्डल की शाखाओं पर भ्रमण करने एवं बकायेदारों से सम्पर्क करने हेतु वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाय तथा पूर्व में निर्धारित दर रू0 6.50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर को भी बढाया जाय। उक्त अनुरोध के क्रम में पूर्व निर्गत परिपत्र सं0 सी–17/वसूली/जीप–किराया/2010–11 दि0 19.05.2011 एवं सी 121/वसूली/जीप–किराया/ 2009–10 दि0 27.01.2010 में आंशिक संशोधन करते हुये अधोलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1–शाखाओं पर प्रभावी वसूली कार्यवाही एवं अनुश्रवण तथा आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति करने, शाखाओं पर भ्रमण करने एवं बकायेदारों से सम्पर्क करने एवं मण्डल के अन्य समस्त कार्यो को सम्पन्न करने हेतु जिन मण्डलों में वाहन (जीप/कार) उपलब्ध नहीं है वहॉ पर अधिकतम 8.00रूपये (आठ रूपये) प्रति किलोमीटर की दर पर टैक्सी किराये पर लेकर भ्रमण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2–उक्तानुसार किराये पर टैक्सी(जीप/कार)लेने की स्थिति में प्रतिमाह टैक्सी किराया मद में बढोत्तरी संभावित है इसको दृष्टिगत रखते हुये जिन मण्डलों में बैंक का वाहन (जीप/कार) नहीं है, उन मण्डलों में टैक्सी वाहन किराया मद में निम्नानुसार प्रतिमाह बढोत्तरी की जाती है–

(क) जिन मण्डलों के कार्यक्षेत्र में (19) अथवा उससे कम शाखायें है, वहॉ पर इस हेतु प्रतिमाह व्यय की अधिकतम सीमा रू0 21,000/–(इक्कीस हजार रूपये) निर्धारित की जाती है।

(ख)जिन मण्डलों में (20) व उससे अधिक (26) तक शाखाएं हैं, (झॉसी मण्डल को छोड़कर) वहॉ पर इस हेतु प्रतिमाह अधिकतम व्यय सीमा रू0 23,000/– (तेइस हजार) निर्धारित की जाती है।

(ग) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के झॉसी मण्डल में जहॉ पर दो शाखाओं के बीच की परस्पर दूरी अधिक है एवं बरेली एवं लखनऊ मण्डल जहॉ पर (26) से अधिक शाखायें है, वहॉ पर इस हेतु प्रतिमाह अधिकतम व्यय सीमा रू0 27,000/–(सत्ताइस हजार रूपये) निर्धारित की जाती है।

उपरोक्तानुसार निर्धारित व्यय सीमा के अनुसार वाहन मद में बढोत्तरी इस आशय से की जाती है कि प्रत्येक क्षेत्रीय प्रबन्धक उनके मण्डल को प्रधान कार्यालय द्वारा उक्त मद में आवंटित बजट के अनुसार मण्डल की शाखाओं पर भ्रमण करते हुये एवं बकायेदारों से नियमित रूप से व्यक्तिगत सम्पर्क कर वसूली, ऋण वितरण एवं सावधि जमा में लक्ष्यानुरूप प्रगति लाये।

उक्तानुसार वाहन किराया मद में हुए व्यय के सम्बन्ध में लेखा पारित करने हेतु प्र0का0 के लेखा अनुभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

(अन्द्रा वामसी)आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त शाखा/वरि0 प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0।
2. समस्त योजनाधिकारी, उ0प्र0 सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 लखनऊ को आ0का0 हेतु प्रेषित।
3. प्रबन्धक/वरि0प्रबन्धक(लेखा/बजट), उ0प्र0 सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही/दिशा–निर्देश प्रेषित करने हेतु।
4. प्रबन्धक (कम्प्यूटर), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 लखनऊ, को प्रदेश के समस्त शाखाओं एवं समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों को ई0मेल0 कराने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक